

प्रेषक,

चारूलता,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग:

लखनऊ : दिनांक : 16 अप्रैल, 2018

विषय: यूपीनेडा के कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-9245/नेडा-ईएस-6(13)/88 दिनांक 30 जनवरी 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-6 में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के कार्मिकों को शासनादेश संख्या-1335/87-अति०ऊ०सो०वि०/2017 दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की व्यवस्था लागू की गयी है। 2- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 के संलग्नक-1 में ग्रेड वेतन रू० 8700/- के लिए उल्लिखित मैट्रिक्स लेवल-13 इस शासनादेश के संलग्नक के स्तम्भ-2 के अनुसार प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- शासनादेश संख्या-1335/87-अति०ऊ०सो०वि०/2017 दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा तथा उक्त शासनादेश की शेष शर्तें यथावत् रहेगी ।

4- यह शासनादेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-7-211/दस-18 दिनांक 12/04/2018 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीया,
चारूलता
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय) उ०प्र०, इलाहाबाद।
- (2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
- (3) वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7, उ०प्र० शासन।
- (4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
- (5) वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन (दो प्रतियों में)।
- (6) निदेशक, अधिष्ठाण पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
- (7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
चारूलता
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-220/87-अति0ऊ0सो0वि0/2018-8(12)अति0ऊ0/2016

दिनांक 16 अप्रैल,2018 का संलग्नक

क्रम सं०	ग्रेड वेतन रू० 8700 के लिये प्रतिस्थापित मैट्रिक्स लेवल-13
(1)	(2)
1	123100
2	126800
3	130600
4	134500
5	138500
6	142700
7	147000
8	151400
9	155900
10	160600
11	165400
12	170400
13	175500
14	180800
15	186200
16	191800
17	197600
18	203500
19	209600
20	215900
21	

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।